

फॉर्म ग्रहकाम

(नियम 26)

अज्ञ जदालत श्री. जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

..... शंकर कोठे बनाम तहसीलदार देवली

किस्म मुकदमा अपील नं. (43) तन् 2013 61
12 27-8-13
2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ग्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.07.2013	<p>अपीलान्ट श्री <u>शंकर, (वे. मराठा)</u> वगैरह ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावो रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई के स्तर में किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अधिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> विविक्त विभा कलेक्टर टोंक</p>	
21 $\frac{8}{13}$	<p>पत्रावली - न्यायालय, अति. जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त होने एवं मंत्रालयिक कर्मचारी अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थागित रखा गया। ए. ए. साहव अन्य राज कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो। श्री</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही काय इतिशियत्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23-2-17

पत्रावली पेश। राजकीय पेट्रोकार (रेस्पॉन्ड) उपर
अपीलाट व उसके अतिमाधक अनुष। दोस्रो को
आवाज लगावाई गई किन्तु वे इपस्थित नहीं हुए। अर,
अपीला अपीलांट अदर हाजरी. अदर पैरवी इंवास्टिज
की जाती है। पत्रावली निर्वाह शुक्रा लेका कद रमतील
दारिबल दफतर ले।

प्रतिरिक्त पिना उलेवटर

बील